

न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

शिमला मीणा (आरटीएस)

दिनांक 30.7.2020

मि.न.33/2020

श्रीराम पुत्र बबू जाति बलाई

(गैरसायल) सरकार बनाम श्रीराम


निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1184/0.37 है0 किस्म गै0मु0 नाला मेंसे 0.05 है0पर श्रीराम पुत्र बबू जाति बलाई निवासी दादुका ने बाजरा की फसल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल को वास्ते जवाब अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सकें । भू-अभिलेख निरीक्षक व राजस्व टीम से रिपोर्ट ली गई तथा पटवारी हल्का से पुनः जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 1184/0.37 है0 किस्म बारानी बताई गई जबकि पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में किस्म गै0मु0 नाला दर्ज की गई थी अतः पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर बारानी पढा जाना उचित प्रतित होता है । हमने पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में सगलन दस्तावेजो पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायलान द्वारा उक्तआराजियात अतिक्रमण सिद्ध होता हैं । अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायल श्रीराम पुत्र बबू जाति बलाई निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1184/0.37 है0 किस्म बारानी -3 में से 0.05 है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .0.10रु.


नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

का पचास गुणा 5रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली, फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायम टी. आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21 के 10 ल० ९
के पृष्ठ संख्या 14 पर 5 रु
दफते कायम किये गये ।

419/2020/8120
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली